...यालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

...सीन अधिकारी— श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
08/प्रा.पत्र/2019	03.01.2019	24.11.2021

श्री गिरिराज शर्मा, तात्कालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बून्दी हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी बांरा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांरा। —प्रार्थी

—बनाम—

श्री किशनलाल यादव पुत्र श्री रामकरण यादव, मालिक, मैसर्स श्री कृष्णा दुध डेयरी, रामेश्वर चौराहा, अलोद, जिला बून्दी। निवासी धनावा, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी। —अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम एवं विनियम 2011

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से—श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्थान पर
श्री सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी

अप्रार्थी की ओर से—श्री जुगराज गुर्जर एड0

—: निर्णय :—

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना—पत्र में निम्नाकित बिन्दु अंकित किये हैः—

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 एवं कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/470 दिनांक 09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, जिला बून्दी आंवटित किया गया है और अधिसूचना कमांक एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/496 दिनांक 11.03.2012 के अनुसार बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षैत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है।
2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.04.2018 को समय 02:00 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु रामेश्वर चौराहा के पास, धनाव स्थित श्री कृष्णा दुध डेयरी पर पहुंचा। वहां पर श्री किशनलाल यादव पुत्र श्री रामकरण यादव, विकेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।
3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थ सहित प्रतिष्ठान पर आम जनता को विकय हेतु डी फ्रीज में खोआ लगभग 100

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

किलोग्राम (पौलीथीन में प्रत्येक 5 कि0ग्रा0 के 20 नग में) उपलब्ध था। उक्त खाद्य पदार्थ खोआ में मिलावट का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, स्टील के चम्मच से लेकर, तुलवाकर, किलोग्राम, एक साफ सुखी व स्वच्छ पोलीथीन थैली में वास्ते जांच खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 180/– नगद देकर रसीद प्राप्त की।

4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ खोआ पुनः स्टील के चमचे से बारीक एवं एकरूप कर, चार कांच की साफ, सुखी व स्वच्छ शीशीयों में बराबर–बराबर भरा एवं प्रत्येक कांच की शीशी में बतौर परिरक्षक फार्मेलीन की 20–20 बून्दे डालकर, ढक्कन लगाकर एयरटाईट किया। नमूने के प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू–1250 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी डॉ0 सुरेश चन्द जैन द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू–1250 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार–चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये के पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होनें चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।

5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.–6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/174 दिनांक 05.06.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 295/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2018/325 दिनांक 25.05.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया खोआ, सबस्टेण्डर्ड (Substandard) पाया गया।

7. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/311 दिनांक 26.12.2018 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

सबस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ खोआ का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करना चाहा तथा सहानुभूति का रूख अपनाते हुये प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थी समाअत की गई।

बवक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गिरिराज शर्मा के स्थान पर श्री सत्यनारायण गुर्जर न्यायालय में उपस्थित जिन्होंने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी अपने सबस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ खोआ का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया गया हैं, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित हैं। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावें।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने दोराने बहस में व्यक्त किया कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ खोआ में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई हैं। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे जान माल की हानि हो। सहानुभूति का रूख अपनाते हुए लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निर्णय पारित करने की कृपा करे।

हमने बहस प्रार्थी व अप्रार्थी पर मनन किया जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी ने अपने प्रतिष्ठान पर सबस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ खोआ का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विक्रय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा हैं जिसके लिए अप्रार्थी दोषी हैं। अप्रार्थी का कृत्य दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी को 10,000/– (अक्षरे–दस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता हैं। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)